

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 106/2003 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2003/00006

उनवान

1. मृतक जीतमल पिता हुक्मीचन्द जैन के बजाय
 - 1/1 श्रीमती पेपी पत्नी उदयलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/2 श्रीमती कमला पत्नी चम्पालाल जैन उम्र बालिग
 - 1/3 श्रीमती इन्द्रा पत्नी नन्दलाल जैन उम्र बालिग
निवासीयान उथरदा तहसील सलूम्वर, जिला-सलूम्वर (राज.)।
 - 1/4 मृतक शान्ता पुत्री जीतमल जैन के बजाय
 - 1/4/1 श्री सुखलाल पुत्र रामचंद्रजी जैन उम्र बालिग
 - 1/4/2 श्री पंकज पुत्र सुखलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/4/3 श्री शैलेश पुत्र सुखलाल जैन उम्र बालिग
निवासीयान कन्तोडा तहसील सराडा, जिला-सलूम्वर (राज.)।
 - 1/5 मृतक ख्यालीलाल पुत्र जीतमल जैन के बजाय
 - 1/5/1 नारायणी पत्नी ख्यालीलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/5/2 श्री महावीर पुत्र ख्यालीलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/5/3 श्री प्रवीण पुत्र ख्यालीलाल जैन उम्र बालिग
निवासीयान उथरदा, तहसील सलूम्वर, जिला-सलूम्वर (राज.)।
2. मृतक श्री गणेशलाल पिता हुक्मीचन्द जैन के बजाय
 - 2/1 श्री रमेश पुत्र गणेशलाल जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा।
 - 2/2 श्री भंवरलाल पुत्र गणेशलाल जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा।
 - 2/3 श्रीमती धुली पुत्री गणेशलाल जैन, पत्नी गिरधारीलाल जैन उम्र बालिग निवासी मैथुडी, तहसील सलूम्वर जिला-सलूम्वर।
 - 2/4 श्रीमती नाथीबाई पत्नी गणेशलाल जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर।

विरुद्ध

1. श्री रतना पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
2. श्री लाला पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
3. श्री गांगा पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
4. श्री वेला पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
सभी निवासीयान उथरदा तहसील सलूम्वर, जिला-सलूम्वर (राज.)।
5. भूमिधारी तहसीलदार, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)।

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

-::निर्णय::-

दिनांक:-03-06-2026

उपस्थिति: श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता-वादीगण
प्रतिवादी संख्या 1 से 5- अनुपस्थित।
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्वर उपस्थित।

**सहायक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर**

उनवान-मृतक जीतमल के बजाय पेपी बनाम श्री रतना

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पांती बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31-03-2021 को निर्णीत किया गया था, जिसे माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 52/2021 में दिनांक 23-05-2025 को अपास्त करते हुए पुनः विचारार्थ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है।

प्रकरण में पुनः उभयपक्ष को सुना जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-01-2026 द्वारा प्रकरण में मौजा उथरदा तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या / रकबा 2803/0.14, 3463/0.11, 3475/0.09 कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवाद संख्या 1 से 5 तक का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से अनुसार बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 287 दिनांक 29-05-2026 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन वादी को करवाया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित मय अधिवक्ता गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण में बंटवाड़े की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः वादीगण को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा उथरदा तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2803/0.14, 3463/0.11, 3475/0.09 कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टेयर कृषि भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. **खातेदार का नाम-**मृतक वादी संख्या 1 व 2 के विधिक वारिसान वादी संख्या 1/1 श्रीमती पेपी, वादी संख्या 1/2 श्रीमती कमला, वादी संख्या 1/3 श्रीमती इन्द्रा वादी संख्या 1/4/1 श्री सुखलाल, 1/4/2 श्री पंकज, 1/4/3 श्री शैलेश, 1/5/1 नारायणी, 1/5/2 महावीर, 1/5/3 प्रवीण तथा वादी संख्या 2/1 श्री रमेश, वादी संख्या 2/2 भंवरलाल, वादी संख्या 2/3 श्रीमती धुली, वादी संख्या 2/4 श्रीमती नाथीबाई के हिस्से संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 2803/1/0.0200, 3463/1/0.0550, 3475/1/0.0450 कुल किता 3 रकबा 0.1200 हैक्टेयर लगानी 2.12 रुपये।
2. **खातेदार का नाम-** गांगा रतना लाला वेला हिरा पुत्र गोईन्दा जाति डांगी के हिस्से आराजी नम्बर 2803/2/0.0200, 3463/2/0.0550, 3475/2/0.0450 किता 3 रकबा 0.1200 हैक्टेयर लगानी 2.15 रुपये।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 287 दिनांक 29-05-2026 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। पक्षकारों के हिस्से अनुसार खाते पृथक-पृथक कायम किये जावे तथा माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय दिनांक 03-06-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर

सहायक कलेक्टर सलुम्बर

जिला सलुम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलूमबर जिला-सलूमबर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 106/2003 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2003/00006

उनवान

1. मृतक जीतमल पिता हुक्मीचन्द जैन के बजाय
 - 1/1 श्रीमती पेपी पत्नी उदयलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/2 श्रीमती कमला पत्नी चम्पालाल जैन उम्र बालिग
 - 1/3 श्रीमती इन्द्रा पत्नी नन्दलाल जैन उम्र बालिगनिवासीयान उथरदा तहसील सलूमबर, जिला-सलूमबर (राज.)।
- 1/4 मृतक शान्ता पुत्री जीतमल जैन के बजाय
 - 1/4/1 श्री सुखलाल पुत्र रामचंद्रजी जैन उम्र बालिग
 - 1/4/2 श्री पंकज पुत्र सुखलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/4/3 श्री शैलेश पुत्र सुखलाल जैन उम्र बालिगनिवासीयान कन्तोडा तहसील सराडा, जिला-सलूमबर (राज.)।
- 1/5 मृतक ख्यालीलाल पुत्र जीतमल जैन के बजाय
 - 1/5/1 नारायणी पत्नी ख्यालीलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/5/2 श्री महावीर पुत्र ख्यालीलाल जैन उम्र बालिग
 - 1/5/3 श्री प्रवीण पुत्र ख्यालीलाल जैन उम्र बालिगनिवासीयान उथरदा, तहसील सलूमबर, जिला-सलूमबर (राज.)।
2. मृतक श्री गणेशलाल पिता हुक्मीचन्द जैन के बजाय
 - 2/1 श्री रमेश पुत्र गणेशलाल जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा।
 - 2/2 श्री भंवरलाल पुत्र गणेशलाल जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा।
 - 2/3 श्रीमती धुली पुत्री गणेशलाल जैन, पत्नी गिरधारीलाल जैन उम्र बालिग निवासी मैथुडी, तहसील सलूमबर जिला-सलूमबर।
 - 2/4 श्रीमती नाथीबाई पत्नी गणेशलाल जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा तहसील सलूमबर जिला सलूमबर।

विरुद्ध

1. श्री रतना पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
 2. श्री लाला पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
 3. श्री गांगा पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
 4. श्री वेला पिता गोइन्दाजी डांगी उम्र बालिग
- सभी निवासीयान उथरदा तहसील सलूमबर, जिला-सलूमबर (राज.)।
5. भूमिधारी तहसीलदार, सलूमबर जिला-सलूमबर (राज.)।

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक:-03-06-2026

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 03.06.2026 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया

जाता है कि मौजा उथरदा तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2803/0.14, 3463/0.11, 3475/0.09 कुल किता 3 रकबा 0.24 हेक्टेयर कृषि भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री के आदेश दिये जाते हैं-

1. **खातेदार का नाम-**मृतक वादी संख्या 1 व 2 के विधिक वारिसान वादी संख्या 1/1 श्रीमती पेपी, वादी संख्या 1/2 श्रीमती कमला, वादी संख्या 1/3 श्रीमती इन्द्रा वादी संख्या 1/4/1 श्री सुखलाल, 1/4/2 श्री पंकज, 1/4/3 श्री शैलेश, 1/5/1 नारायणी, 1/5/2 महावीर, 1/5/3 प्रवीण तथा वादी संख्या 2/1 श्री रमेश, वादी संख्या 2/2 भंवरलाल, वादी संख्या 2/3 श्रीमती धुली, वादी संख्या 2/4 श्रीमती नाथीबाई के हिस्से संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 2803/1/0.0200, 3463/1/0.0550, 3475/1/0.0450 कुल किता 3 रकबा 0.1200 हैक्टेयर लगानी 2.12 रुपये।
2. **खातेदार का नाम-** गांगा रतना लाला वेला हिरा पुत्र गोईन्दा जाति डांगी के संयुक्त रूप से हिस्से आराजी नम्बर 2803/2/0.0200, 3463/2/0.0550, 3475/2/0.0450 किता 3 रकबा 0.1200 हैक्टेयर लगानी 2.15 रुपये।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 287 दिनांक 29-05-2026 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। पालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 03.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलुम्बर
सलुम्बर
जिला सलुम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपयेपरलीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीसतलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील	02	00			
8. स्टाम्प		00			
योग	07	00		02	00

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर